

Ungam  
अनुच्छेद 343 के अन्तर्गत

1253 Di

झारखण्ड सरकार,

श्री, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ।

आ धसूचना

=====

दिनांक- 14/11/02

एसओओ बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार" के बिहार मोटर ट्रान्सपोर्ट एक्ट 1962 को इसके बाद यथा उल्लिखित नियमावली के रूप में संशोधित निम्नलिखित संशोधनों के साथ अंगीकृत करती है ।

यथा उल्लिखित अधिनियम, 1962 की धारा-1 में "बिहार शब्द को "झारखण्ड" शब्द से प्रतिस्थापित समझा जाय । झारखण्ड राज्य में अपने निवाह प्रयोजनों के लिए यह नियमावली जब "झारखण्ड मोटर ट्रान्सपोर्ट एक्ट, 2001 समझा जायेगा ।

यथा उल्लिखित नियमावली, 1962 के अन्तर्गत जहाँ-जहाँ "बिहार" शब्द का उल्लेख किया गया है, वहाँ-वहाँ उसे "झारखण्ड" शब्द से प्रतिस्थापित समझा जायेगा ।

संख्या-2/एमटी-602/2001 क्र. नि. - 2872

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के सचिव । 13.11.02

आ धसूचना

एसओओ दिनांक- एसओओ दिनांक-14/11/02

का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

संख्या-2/एमटी-602/2001 क्र. नि. 2873

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के सचिव । 13.11.02

Notification

Ranchi, dated- 14/11/02

S.O. In exercise of the power conferred by section-85 of the Bihar Re-organization Act, 2000 the Government of Jharkhand do hereby adopt "The Bihar Motor Transport Rules, 1962 as mentioned hereinafter with the following amendments:-


As mentioned in the Article-1 of the said Rules 1962 the word "Bihar" is substituted by the word "Bihar" as "Jharkhand" now this Rules with all its provisions contained therein will be known as "the Jharkhand Motor Transport Rules, 2001".

As mentioned in the said Rules 1962, wherever the word "Bihar" is mentioned would now be taken to be substituted by the word "Jharkhand".

(No. 2/MT-602/2001L&E- 2872)  
By the order of the Governor of  
Jharkhand,

  
Secretary to Government. 13.11.02


आपॉड-2/समटी-602/2001 क्र. नं.- 2873 राँची, दिनांक- 14/11/02  
प्रतिज्ञाप- अधीक्षक, राजकीय सुद्वणालय, राँची जो मेट के असाधारण अंत में  
100 प्रतियों में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

  
सरकार के सचिव । 13.11.02

आपॉड-2/समटी-602/2001 क्र. नं.- 2873 राँची, दिनांक- 14/11/02  
प्रतिज्ञाप- मालिखाकार, झारखंड एवं झारखण्ड, मदन राँची जो सूचना एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
13.11.02

आपॉड-2/समटी-602/2001 क्र. नं.- 2873 राँची, दिनांक- 14/11/02  
प्रतिज्ञाप- मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी आयुक्त/सभी उपायुक्त/निदेशक, वृषि श्रमिक,  
झारखण्ड, राँची/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची/मुख्य कारखाना निरीक्षक,  
झारखंड, राँची/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/मुख्य बार्डिपत्र  
निरीक्षक, झारखंड, धनबाद/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी बार्डिपत्र निरीक्षक को  
सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के सचिव । 13.11.02